HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 721/2026
URN: SOSA / 1397U / 2026

IN

S.B. Criminal Appeal no. 806/2026

Mukesh Chand Son Of Shri Chirmoli Alias Chimman, Aged About 49 Years, Resident Of Patore Shastri, Police Station Kudgawn, District Karauli Rajasthan (At Present Confined At District Jail Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hari Krishna Sharma Mr. Ramavtar Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

17/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, करौली (राज.) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 130/2022 **(सी.आई.एस. सं. 130/2022) राजस्थान राज्य** बनाम **मुकेश चन्द** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 13.03.2026 के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को इस प्रकरण में अधिकतम सात वर्ष के कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त दौराने विचारण दिनांक 10.06.2022 से 18.06.2022 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह वर्तमान में निर्णय की दिनांक 13.03.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। अपीलार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि लगभग 5 माह की हो चुकी है। अपीलार्थी–अभियुक्त से 6.40 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया है। अपीलार्थी–अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा अत्यधिक सजा से दंण्डित किया गया है। अपीलार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। एनडीपीएस के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभाष है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त की पत्नी का देहांत हो चुका है उसके बच्चे अभी छोटे–छोटे हैं। अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो

सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मुकेश चन्द पुत्र चिरमोली उर्फ चिम्मन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

63/RAMESHWAR PRASHAD/757